<u>न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।</u>

जमानत प्रार्थना-पत्र सं. /2026

<u>दिनांक 28.07.2026</u> **आदेश**

अभियुक्ता **शिल्पी रस्तोगी उर्फ प्रिया** ओर से मुकदमा अपराध संख्या-158/2026, अन्तर्गत धारा-131,118(2),125 बी.एन.एस., थाना-कोतवाली, जिला पीलीभीत के अपराध में जमानत प्रार्थना-पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता को उक्त मामले में झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। याचना की गयी है कि अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियुक्ता दिनांक 27.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा अन्तर्गत जेल में निरूद्ध है।

अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्ता शिल्पी रस्तोगी उपरोक्त अभियोग में न्यायिक अभिरक्षा में है। अपराध अजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया जाता है।

अभियुक्ता उपरोक्त पर आरोपित अपराध अजमानतीय एवं गम्भीर प्रकृति का है तथा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्ता उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। तदानुसार जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अभियुक्ता उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(मंगल देव सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पीलीभीत।
जे.ओ.कोड-यू.पी.1995

Digitally signed by MANGALDEV SINGH
Date: 2026.07.29 10:53:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court